भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3983

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

ओडीआईसी की स्थापना

3983. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

श्री राहुल कस्वां:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के अंतर्गत स्थापित आउटरीच और ड्रॉप-इन केन्द्रों (ओडीआईसी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नशीली दवाओं को कम करने, ऐसे पदार्थों के उपयोग को नियंत्रित करने, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने, पीड़ितों के उपचार, परामर्श, पुनर्वास और इस संबंध में जन-जागरूकता लाने हेतु मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के समन्वय से क्या कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इसका राज्यवार प्रभाव क्या है;

(घ) क्या एनएपीडीडीआर के अंतर्गत कोई अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): समुदाय में आउटरीच कार्यकलाप चलाने के लिए चिह्नित जिलों में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्र (ओडीआईसी) स्थापित किए गए हैं जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

i. नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय में संवेदनशील किशोरों और युवाओं के बीच आउटरीच गतिविधियों का संचालन करना।

ii. जांच, मूल्यांकन और काउंसलिंग के प्रावधान वाले समुदाय में नशीले पदार्थों का दुरुपयोग करने वालों के लिए सुरक्षित और संरक्षित ड्रॉप-इन स्थान प्रदान करना।
iii. नशीले पदार्थों पर निर्भर लोगों के लिए उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल और लिंकेज प्रदान करना।

आउटरीच और ड्रॉप-इन केन्द्रों (ओडीआईसी) की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) और (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए नोडल मंत्रालय है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए, इस विभाग ने नशीले पदार्थों की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) तैयार की है और इसे कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए कार्यक्रम आदि के लिए।
ii. नशे की लत से पीडित लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (एलआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों, किशोरों के बीच नशीले पदार्थों के शीघ्र दुरुपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित साथियों की अगुवाई वाली पहल (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) को; तथा
iii. व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत उठाए गए कदम **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा सहायता प्राप्त नशामुक्ति केन्द्रों के लाभार्थियों की संख्या के संदर्भ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रभाव **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): लाभार्थियों के हित में योजना की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। मंत्रालय विभिन्न ऐसे जिलों में, जहां कोई उपचार और पुनर्वास सुविधा नहीं है, नशामुक्ति केन्द्र (डीडीएसी) स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना की निगरानी कर रहा है। ये जिला नशामुक्ति केन्द्र आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा एक साथ अब तक प्रदान की जा रही व्यापक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3983, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में यथा निर्दिष्ट अनुलग्नक-I

आउटरीच और ड्रॉप-इन केंद्रों (ओडीआईसी) की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है-

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	ओडीआईसी की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	3
5.	बिहार	0
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	2
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	8
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	3
12.	हरियाणा	1
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू-कश्मीर	3
15.	झारखंड	0
16.	कर्नाटक	0
17.	केरल	2
18.	लद्दाख	0
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	7
21.	महाराष्ट्र	0
22.	मणिपुर	6
23.	मेघालय	1
24.	मिजोरम	2
25.	नागालैंड	1
26.	ओडिशा	6
27.	पुदुच्चेरी	1
28.	पंजाब	2
29.	राजस्थान	7
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	0
32.	तेलंगाना	1
33.	त्रिपुरा	2
34.	उत्तर प्रदेश	10
35.	उत्तराखंड	1
36.	पश्चिम बंगाल	1
कुल योग		76

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3983, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में यथा निर्दिष्ट अनुलग्नक-II

एनएपीडीडीआर योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की गई हैं:

i. नशे के दुरुपयोग से पीडित व्यक्तियों के लिए 349 एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) जो नशीले पदार्थों के दुरुपयोगकर्ताओं को इन-डोर उपचार, साथ ही परामर्श, डिटॉक्सीफिकेशन/नशामुक्ति, नशामुक्ति के बाद देखभाल और सामाजिक मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं।

ii. 45 समुदाय आधारित साथियों की अगुवाई वाली पहल (सीपीएलआई) कार्यक्रम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ड्रग्स के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने और जीवन कौशल सिखाने के लिए उनके साथ काम करते हैं।

iii. 76 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) जो जांच, मूल्यांकन और परामर्श के प्रावधान के साथ सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं तथा उसके बाद उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए रेफरल और लिंकेज प्रदान करते हैं।

iv. सरकारी अस्पतालों में 154 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ)।

v. 145 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) जो आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी तीन सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाते हैं।

vi. इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंच में आसानी के लिए जियो-टैग किया गया है।

vii. इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 का रखरखाव किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4.69 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं।

viii. नवचेतना मॉड्यूल, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल छात्रों (6ठी -11 वीं कक्षा), शिक्षकों और माता-पिता को नशीले पदार्थों पर निर्भरता, इससे उबरने की रणनीतियों और जीवन कौशल के संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए):

i. नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) को 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 272 सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया था और अब इसका विस्तार देश के सभी जिलों में कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान देने के साथ जनता तक पहुंचना और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।

ii. अब तक, जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 25.99 करोड़ से अधिक लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के संबंध में जागरुक बनाया गया है, जिसमें 9.39 करोड़ से अधिक युवा और 6.40 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे। 28,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों (एमवी) के एक मजबूत बल की पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

iii. 8 आध्यात्मिक संगठनों - आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मा कुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन, अखिल भारतीय परिवार, शिवानंद योग वेदांत धन्वंतरी आश्रम और पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि एनएमबीए का समर्थन किया जा सके और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जा सके।

iv. एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

v. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/व्यूअर को इस अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-प्रतिज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

vi. विभाग नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए राज्यों के सहयोग से नियमित कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

अनुलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3983, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में यथा निर्दिष्ट अनुलग्नक-III

पिछले पांच वर्षों के दौरान इस विभाग द्वारा सहायता प्राप्त नशामुक्ति केंद्रों के लाभार्थियों की संख्या का राज्य और वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	आंध्र प्रदेश	6878	18658	20036	48094	76061
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	345	30	5	0	0
4	असम	15995	26984	26869	40328	36674
5	बिहार	1414	1583	1487	1639	29429
6	चंडीगढ़	842	1007	1145	5440	5465
7	छत्तीसगढ़	6058	16580	17262	16742	16848
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	165	160	182	187	192
9	दिल्ली	12993	18549	26635	44454	41000
10	गोवा	0	3	0	0	0
11	गुजरात	1289	1571	1607	17658	20824
12	हरियाणा	5692	7352	6893	6790	6550
13	हिमाचल प्रदेश	727	12665	3207	2683	3218
14	जम्मू-कश्मीर	1509	4365	9774	31432	35948
15	झारखंड	170	195	194	190	11515
16	कर्नाटक	7153	7206	7179	7501	8248
17	केरल	4239	4746	10385	12747	12943
18	लद्दाख	0	0	0	0	1138
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	43993	41467	55461	78015	100472
21	महाराष्ट्र	9273	8630	8705	10347	28739
22	मणिपुर	7974	9026	10313	18920	32528
23	मेघालय	297	40	196	417	627
24	मिजोरम	1862	2025	2196	8790	8931
25	नागालैंड	1313	1440	1293	2556	6757
26	उड़ीसा	24497	28223	32241	39965	48306
27	पुदुच्चेरी	365	499	463	4628	4571
28	पंजाब	10534	10159	11239	11486	11603
29	राजस्थान	10117	24001	28982	52713	71355
30	सिक्किम	194	178	165	114	294
31	तमिलनाडु	3320	3938	3668	15938	44271
32	तेलंगाना	5924	6020	6174	6995	12032
33	त्रिपुरा	614	762	416	0	0
34	उत्तर प्रदेश	14295	15523	31041	71721	96749
35	उत्तराखंड	1256	4718	5230	5537	5472
36	पश्चिम बंगाल	7118	8099	8942	17786	20133
	कुल	208415	286402	339585	581813	798893
